BIJNOR POLICE

साइबर सेल, जनपद बिजनौर

सितम्बर- 2025

साइबर सेल, जनपद बिजनौर द्वारा माह सितम्बर - 2025 में 10 व्यक्तियों के साथ हुई ऑनलाइन रुपयों की धोखा धडी में कुल 10,16,900/- रुपये वापस कराये गये

साइबर सेल जनपद बिजनौर द्वारा निम्न शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, जिसके फलस्वरुप पीडितों के बैंक खातों से निकाले गये रुपयों को वापस कराया गया। रुपये वापस मिलने पर पीडितों द्वारा बिजनौर पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र0स0	थाना	प्रा0पत्र सं0/ मु0अ0सं0	बरामद धनराशि	माध्यम
01	कोतवाली शहर	NCRP- 62508	23,170/-	यूपीआई
02	चाँदपुर	NCRP- 35353	20,000/-	यूपीआई
03	नजीबाबाद	NCRP- 52812	20,000/-	यूपीआई
04	नजीबाबाद	NCRP- 32749	5,00,000/-	यूपीआई
05	नजीबाबाद	NCRP- 09877	30,590/-	यूपीआई
06	नहटौर	NCRP- 97282	40,000/-	यूपीआई
07	नजीबाबाद	NCRP- 89661	83,140/-	यूपीआई
08	हीमपुर दीपा	NCRP-15625	50,000/-	यूपीआई
09	चाँदपुर	NCRP-41189	2,00,000/-	यूपीआई
10	मण्डावर	NCRP-84146	50,000/-	यूपीआई
		कुल योग	**10,16,900/-**	

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना कोतवाली देहात   दिनांक 01.08.2025

थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 205/2025 धारा 115(2)/333/110/352/351(3) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.09.2025 को वादी श्री कृष्णदत्त पुत्र घसीटा सिंह निवासी ग्राम मुज्जफराबाद थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण जोगेन्द्र व योगेन्द्र पुत्रगण विशन सिंह निवासी ग्राम मुजफ्फराबाद उर्फ उग्रावाला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा वादी व वादी की पत्नी के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गयी।

इस सम्बन्ध मे प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर पर मु0अ0सं0 205/2025 धारा 115(2)/333/110/352/351(3) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 01.10.2025 थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त जोगेन्द्र पुत्र बिशन सिंह निवासी ग्राम मुज्जफराबाद उर्फ उग्रावाला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का नाम व पता-

जोगेन्द्र पुत्र बिशन सिंह निवासी ग्राम मुज्जफराबाद उर्फ उग्रावाला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 अनिल कुमार राणा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

2- है0का0 416 नरेश कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

3- का0 2024 मुकम्मिल मलिक थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना कोतवाली देहात   दिनांक 01.08.2025

थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 206/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.09.2025 को वादी श्री दीप पुत्र विजयपाल सिंह निवासी ग्राम सिकेडा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी गयी कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसकी साईकिल चोरी कर ली गयी है।

इस सम्बन्ध मे प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर पर मु0अ0सं0 206/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियोग मे अभियुक्त नीरज कुमार पुत्र सत्ते कश्यप निवासी ग्राम बरुकी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया तथा धारा 317(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही-

आज दिनांक 01.10.2025 थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त नीरज कुमार पुत्र सत्ते कश्यप निवासी ग्राम बरुकी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को चोरी की गयी साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का नाम व पता-

नीरज कुमार पुत्र सत्ते कश्यप निवासी ग्राम बरुकी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 यशपाल सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
2- का0 2513 देव तेवतिया थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
3- का0 142 मुनेन्द्र सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
4- का0 2052 नीटू सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना रेहड **दिनांक 01.10.2025**

थाना रेहड पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (इंस्टाग्राम) पर मा0 मुख्यमंत्री जी को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 01.10.2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (इंस्टाग्राम) पर अभियुक्त अय्यान पुत्र स्व0 आफाक निवासी ग्राम नारायणवाला थाना रेहड जनपद बिजनौर द्वारा अपनी इंस्टाग्राम आईडी से मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 के फोटो को आपत्तिजनक तरीके से एडिट कर पोस्ट की गयी। उक्त पोस्ट का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0स0 75/2025 धारा 353(2)/196(2) बीएनएस व 66ई आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 01.10.2025 को थाना रेहड पुलिस द्वारा अभियुक्त अय्यान पुत्र स्व0 आफाक निवासी ग्राम नारायणवाला थाना रेहड जनपद बिजनौर का घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

अय्यान पुत्र स्व0 आफाक निवासी ग्राम नारायणवाला थाना रेहड जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. निरी0 श्रीमती शर्मिला शर्मा थाना रेहड जनपद बिजनौर
2. का0 1182 राजन कुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर
3. का0 509 रविन्द्र राणा थाना रेहड जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना शिवाला कलां   दिनांक 01.10.2025

थाना शिवाला कलां पुलिस ने मु0अ0सं0 146/25 धारा 103(1)/109(1) बीएनएस संबंधित अभियुक्त किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 20.09.2025 को थाना शिवालाकलां क्षेत्र के ग्राम सेह निवासी श्री चमन सिंह (उम्र करीब 50 वर्ष) पुत्र श्री चन्द्रपाल ने थाना शिवालाकलां पर सूचना दी कि गांव के ही निवासी हरदीप, कीटव, उत्तमचन्द तथा ग्राम बहादुरपुर निवासी अभियुक्त डम्पी द्वारा उनके साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गई तथा तमंचे से फायर किया गया।

सूचना पर थाना शिवालाकलां पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो जांच करने पर घटनास्थल पर फायरिंग की पुष्टि नहीं हो सकी और न ही चमन सिंह को फायरआर्म इंजरी अथवा कोई खुली चोट पाई गई। चमन सिंह चारपाई पर लेटा हुआ था तथा उसके परिजनो द्वारा बताया गया कि चमन सिंह दिल की बीमारी / हार्ट अटैक से ग्रस्त है। परिजनो द्वारा चमन सिंह को उपचार हेतु नूरपुर सीएचसी ले जाया गया, जहां से चमन सिंह को जिला अस्पताल बिजनौर रेफर किया गया। जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में चमन सिंह की मृत्यु हो गई थी।

उल्लेखनीय है कि मृतक चमन सिंह एवं विपक्षीगणों के मध्य पूर्व में दिनांक 27.08.2025 को भी मारपीट व गाली-गलौज की घटना हुई थी, जिस संबंध में हरदीप उपरोक्त द्वारा मृतक चमन सिंह आदि 04 व्यक्तियों के विरूद्ध थाना शिवालाकलां पर मु0अ0सं0 136/25 धारा 33/115(2)/118(1)/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

वर्तमान प्रकरण में मृतक चमन सिंह के पुत्र राजन की तहरीर के आधार पर थाना शिवालाकलां पर मु0अ0सं0 146/25 धारा 103(1)/109(1) बीएनएस बनाम हरदीप सहित 04 अभियुक्तगण उपरोक्त पंजीकृत किया गया है।

कार्यवाही-

आज दिनांक 01.10.2025 को थाना शिवाला कलां पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में से संबंधित अभियुक्त डम्पी उर्फ विकास पुत्र नरेन्द्र मुन्नू निवासी ग्राम खांनजहाँपुर बहादर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण –

डम्पी उर्फ विकास पुत्र नरेन्द्र मुन्नू निवासी ग्राम खांनजहाँपुर बहादर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण-

घटना मे प्रयुक्त तमंचा 315 बोर व 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर

पुलिस टीम –

1.प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

2.उ0नि0 तनवीर अहमद थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

3.हे0का0 425 सचिन थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

4.का0 272 हरित चौधरी थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।